जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन 12/2008/ [illegible]

दिनांकः 20/3/08

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 126वीं बैठक दिनांक 18.03.2008 में लिये गये निर्णय/सुझाव का विवरण।

	ए.स.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1	126.1	कार्यकारी समिति की 125 वीं बैठक दिनांक 18.02.2008 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पुष्टि किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।		-
2	126.2	जविप्रा क्षेत्र में स्थित मित्र गृ.नि.स.स. की जविप्रा से अनुमोदित व कैम्पशुदा न्यू सांगानेर बाईपास योजना के 30 फीट चौडी सडक पर स्थित भूखण्ड संख्या एस.एम.-46, 47, 48, 49 क्षेत्रफल 496.62 वर्ग गज का भू-उपयोग आवासीय से व्यावसायिक किये जाने बाबत्। (शशांक)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा क्षेत्र में स्थित मित्र गृ.नि.स.स. की जविप्रा से अनुमोदित व कैम्पशुदा न्यू सांगानेर बाईपास योजना के भूखण्ड संख्या एस.एम.-46, 47, 48, 49 क्षेत्रफल 496.62 वर्ग गज का भू-उपयोग आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया कि प्रस्तावित भूखण्ड पर पेट्रोल पम्प के सहायक गतिविधियां ही अनुज्ञेय होगी एवं एफ.ए.आर. पेट्रोल पम्प हेतु अनुज्ञेय नियमों के अनुसार ही देय होगें।	उपायुक्त जोन-5	
3	126.3	रोहिणी नगर-प्रथम में भूखण्ड संख्या 68 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से रोहिणी नगर-प्रथम में भूखण्ड संख्या 68 का नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी [illegible] करते हुए नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
4	126.4	रोहिणी नगर-प्रथम में भूखण्ड संख्या 385 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से रोहिणी नगर-प्रथम में भूखण्ड संख्या 385 का नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी वसूल करते हुए नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
5	126.5	शालिगरामपुरा योजना में भूखण्ड संख्या ए-176 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से शालिगरामपुरा में भूखण्ड संख्या ए-176 का नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी वसूल करते हुए नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
6	126.6	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम हरमाडा तहसील आमेर के खसरा नं. 780/2/2 रकबा 0.1576 हैक्टेयर अर्थात 1576 वर्ग मीटर या 1884.94 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण औद्योगिक से मिक्स (शाप कम रेजीडेन्सी) किये जाने के संबंध में। (मोदी बिल्डकॉन प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम हरमाडा तहसील आमेर के खसरा नं. 780/2/2 रकबा 0.1576 हैक्टेयर अर्थात 1576 वर्ग मीटर या 1884.94 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण औद्योगिक से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जोन-12	
7	126.7	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित सेन कालोनी निर्माण सहकारी समिति की योजना सैन कालोनी के भूखण्ड संख्या 2 क्षेत्रफल 486.11 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (विजय केडिया)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22.10.07 ऐसे प्रकरणों में लागु होता है या नही, के सन्दर्भ में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे। अतः प्रकरण स्थगित रखा जावे।	उपायुक्त जोन-1	
8	126.8	जविप्रा क्षेत्र में स्थित किसान गृ.नि.स.स. लि. की योजना इन्कम टैक्स कालोनी टोंक रोड के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या के-48, के-49, एल-3, एल-4 एवं एल-5 क्षेत्रफल 1361.08 वर्गगज का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (भागचन्द कोठारी व अन्य)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22.10.07 ऐसे प्रकरणों में लागु होता है या नही, के सन्दर्भ में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे। अतः प्रकरण स्थगित रखा जावे।	उपायुक्त जोन-4	
9	126.9	जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित किसान कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी की योजना इन्कम टेक्स कालोनी के भूखण्ड संख्या के-7 क्षेत्रफल 355.55 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यवसायिक किये जाने के संबंध में। (अशोकराज सिंघवी)	विचार-विमर्श पश्चात् सर्व सम्मति से प्रकरण में 25 (3) की अधिसूचना दिनांक 22.10.07 से पूर्व की प्रकाशित होने एवं जविप्रा द्वारा चिन्हित 19 सडकों में होने से किसान कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी की योजना इन्कम टेक्स कालोनी के भूखण्ड संख्या के-7 क्षेत्रफल 355.55 वर्ग गज भूमि में से 88.88 वर्गगज सडक सीमा की भूमि जविप्रा को निशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 266.66 वर्गगज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। सडक में समर्पित होने वाली भूमि का कब्जा उपायुक्त जोन द्वारा प्राप्त कर जोनल अभियन्ता को सडक बनाने हेतु उपलब्ध कराने के पश्चात् ही धारा 25 (1) की अधिसूचना जारी की जावे।	उपायुक्त जोन-4	

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
10	126.10	गोविन्दपुरा करधनी योजना के भूखण्ड संख्या डी–160 क्षेत्रफल 136 वर्ग मीटर की राशि देरी से जमा होने के कारण नियमितिकरण बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से गोविन्दपुरा करधनी योजना के भूखण्ड संख्या डी–160 क्षेत्रफल 136 वर्ग मीटर का नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी वसूल करते हुए नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–7	
11	126.11	रोहिणी नगर द्वितीय में विलम्ब से जमा नजराना के भूखण्डों के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से रोहिणी नगर द्वितीय में विलम्ब से जमा नजराना के भूखण्ड संख्या ए–544, ए–286, ए–546 एवं बी–344 का नियमानुसार ब्याज व पेनल्टीयसूल करते हुए नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–11	—
12	126.12	Agenda Regarding Approvel of Tender for the work "Developmen" of Central Plaza and various civil development work at Jawahar Circle Garden, Jaipur."	विचार विमर्श पश्चात सर्वसम्मति से Zonal Engg.(Garden) के प्रस्तावानुसार मैसर्स निरानिया कन्सट्रक्शन क. की Part-A & Part-B टैण्डर दर की राशि 18.21% Above एवं नॉन बीएसआर आईटमों की दर टेण्डर में प्राप्त दरों के अनुसार कुल राशि रू. 3,43,61,021/– स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।	Zonal Engineer (Garden)	
13	126.13	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 616मि./3287.25 वर्गगज, 597/1मि. रकबा 135.55 वर्गगज 612/1मि., रकबा 566.16 वर्गगज, 615/1मि. रकबा 1784.30 वर्गगज, 617/1 रकबा 602.00 वर्गगज कुल रकबा 6375.26 वर्गगज भूमि का भू–उपयोग उपान्तरण औद्योगिक से आवासीय किये जाने के संबंध में। (मै. साहारन आवास विकास प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात सर्वसम्मति से प्रकरण स्थगित किया गया। प्रकरण में रीको से एन.ओ.सी प्राप्त कर पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।	उपायुक्त जोन–9	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTRY AGENDA)					
14	126.14	मैसर्स स्टार क्राऊन प्रोपकोन प्रा. लि. के जयपुर विकास प्राधिकरण से स्वीकृत पुनर्गठित भूखण्ड एम.पी.–1 (अपेक्षा मॉल टोंक रोड योजना) के पास व भूखण्ड एन–1 नियर ग्रेटर कैलाश कॉलोनी, लालकोठी योजना क्षेत्रफल 1411.87 वर्ग मीटर में से 829.63 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड (एम.पी.–1 के पास जिसका पहले से ही वर्तमान मास्टर विकास योजना 2011 में भू–उपयोग व्यावसायिक होने के कारण) की भूमि को छोडते हुए शेष भूखण्ड एन–1 क्षेत्रफल 582.24 वर्ग मीटर का भू–उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से मैसर्स स्टार क्राऊन प्रोपकोन प्रा लि के जयपुर विकास प्राधिकरण से स्वीकृत पुनर्गठित भूखण्ड एम.पी.–1 (अपेक्षा मॉल टोंक रोड योजना) के पास व भूखण्ड एन–1 नियर ग्रेटर कैलाश कॉलोनी, लालकोठी योजना क्षेत्रफल 1411.87 वर्ग मीटर में से 829.63 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड (एम.पी.–1 के पास जिसका पहले से ही वर्तमान मास्टर विकास योजना 2011 में भू–उपयोग व्यावसायिक होने के कारण) की भूमि को छोडते हुए शेष भूखण्ड एन–1 क्षेत्रफल 582.24 वर्ग मीटर का भू–उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। धारा 25(1) अंतर्गत भू–उपयोग रूपान्तरण की नियमानुसार अधिसूचना जारी करने से पूर्व प्रार्थी से व्यावसायिक उपान्तरण शुल्क एवं अन्य शुल्क लिया जावें।	उपायुक्त जोन–3	
15	126.15	जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा गुलाबवाड़ी भवन निर्माण सहकारी समिति की अनुमोदित योजना गुलमोहर लेन, सिरसी रोड के भूखण्ड संख्या–20–ए, क्षेत्रफल 272.67 वर्गगज का भू–उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22.10.07 ऐसे प्रकरणों में लागू होता है या नहीं, के सन्दर्भ में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे। अतः प्रकरण स्थगित रखा जावे।	उपायुक्त जोन–7	
16	126.16	जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित ग्राम सिरोल तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 2004/0.16, 2005/0.25 क्षेत्रफल 0.41 हैक्टेयर अर्थात् 4100 वर्ग मीटर भूमि का भू–उपयोग उपान्तरण आवासीय/मिश्रित से वाणिज्यिक किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम सिरोल तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 2004/0.16, 2005/0.25 क्षेत्रफल 0.41 हैक्टेयर अर्थात् 4100 वर्ग मीटर भूमि में से सड़क सीमा में निहित 559.71 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष भूमि का भू–उपयोग उपान्तरण आवासीय/मिश्रित से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया तथा पार्किंग हेतु भूखण्ड के अन्दर ही स्थान उपलब्ध कराया जावेगा। प्रकरण 1500 व.मी. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जोन–9	
17	126.17	राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.4(11)नविवि/2004/जयपुर दिनांक 11.5.07 द्वारा राजस्थान इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट (शहरी भूमि का निस्तारण) संशोधन नियम 2007 के माध्यम से उक्त नियमों के नियम 15 में संशोधन करते हुए नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने वाली दुकानों के भूखण्ड, निर्मित दुकानों एवं कियोस्क में से 30 प्रतिशत [illegible]	विचार विमर्श पश्चात सर्वसम्मति से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 4(11)नविवि/2004/जयपुर दिनांक 11.5.07 के अनुसार दुकानों की निलामी में 30 प्रतिशत दुकान/कियोस्क अनुसूचित जाति/अनुसुचित जनजाति के व्यक्तियों हेतु आरक्षित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।	अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति)	

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
18	126.18	विधिक सहायक के पद पर पदोन्नति के संबंध में प्रावधान में संशोधन बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण में हाउसिंग बोर्ड से जानकारी प्राप्त की जावे। अतः प्रकरण स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
19	126.19	उद्यान प्रकोष्ठ में अतिरिक्त पदो के सृजन के संबंध मे।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण में वित्त शाखा से वित्तीय प्रभावों का परीक्षण किया जाकर राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
20	126.20	जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्त) विनियम 1984 की अनुसूची संख्या--III अभियांत्रिकी सेवा की तृतीय श्रेणी सेवा के अन्तर्गत कम संख्या 8(क) मिस्त्री ग्रेड-- II के कॉलम संख्या--5 व 7 में पात्र अभियान्त्रिकी हैल्पर / कारीगर हैल्पर के साथ पात्रता में जमादार (मेट) को सम्मिलित करने बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। प्रकरण प्राधिकरण की उच्चाधिकार समिति की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावें।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
21	126.21	श्री नवल कुमार जैन, कनिष्ठ लेखाकार द्वारा अपनी पुत्री शिवानी जैन के दाहिने पैर के घुटने के पास टिबिया हड्डी में ट्यूमर के इलाज हेतु टाटा मैमोरियल अस्पताल में कराये गये इलाज के पुनर्भरण बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकरण में जविप्रा द्वारा अनुमोदित अस्पताल के डाक्टर द्वारा दिये गये परामर्श के अनुसार टाटा मेमोरियल अस्पताल मुम्बई में कराये गये ईलाज पर व्यय हुई राशि रू. 73 08/-- में से नियमानुसार पुनर्भरण की स्वीकृत प्रदान की गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
22	126.22	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स.स. की योजना रामनाथपुरी के भूखण्ड सं. 101 क्षेत्रफल 505.5 व.ग. का भू--उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प के साथ अन्य संबंधित गतिविधियों) हेतु भू--उपयोग उपान्तरण करने एवं भूखण्ड सं. 102 क्षेत्रफल 505.5 व.ग. एवं पूर्व में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूखण्ड सं. 103 क्षेत्रफल 472.47 व.ग. का पुनर्गठन किये जाने के संबंध में। (श्री मोहन लाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा क्षेत्र में स्थित छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स.स. की योजना रामनाथपुरी के भूखण्ड सं. 101 क्षेत्रफल 505.5 व.ग. एवं भूखण्ड सं. 102 क्षेत्रफल 505.5 व.ग. एवं पूर्व में भू--उपयोग व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प के साथ अन्य संबंधित गतिविधिया) प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूखण्ड सं. 103 क्षेत्रफल 472.47 व.ग. का पुनर्गठित किये जाने एवं भूखण्ड संख्या 101 क्षेत्रफल 505.5 व.ग. तथा भूखण्ड सं. 102 क्षेत्रफल 505.5 व.ग. कुल क्षेत्रफल 1011 वर्गगज का भू--उपयोग आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया कि प्रस्तावित भूखण्ड पर पेट्रोल पम्प की सहायक गतिविधिया ही अनुज्ञेय होंगी एवं एफ.ए.आर. पेट्रोल पम्प हेतु अनुज्ञेय नियमों के अनुसार ही देय होगें।	उपायुक्त जोन--6	
23	126.23	Application of counter offer amount for the work " Construction BRT Corridor and development of road, Package : H.B. Sanganer Airport to 22 Godam via Ram Bagh Crossing including elevated road at Durgapura (10.5 Km.)"	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से Zonal Engg.(BRTS-II) के प्रस्तावानुसार 1. इस कार्य के लिए रूपये 104,41,13,951/- प्रति प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 2. प्रथम न्यूनतम निविदाकार के द्वारा इस प्रति प्रस्ताव को स्वीकार करने पर जयपुर विकास आयुक्त को टेण्डर अनुमोदित करने हेतु अधिकृत किया गया। 3. न्यूनतम निविदाकार के द्वारा प्रति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने पर दूसरे निम्नतम निविदाकार को फिर तीसरे निम्नतम निविदाकार को और इसी प्रकार से प्रारम्भिक बोली के क्रम में अगले निविदाकार को देने पर जो निविदाकार प्रति प्रस्ताव को स्वीकार करे, उस पर, जयपुर विकास आयुक्त को निविदा अनुमोदन करने हेतु अधिकृत किया गया।	Zonal Engineer (BRTS-II)	
24	126.24	स्वप्न लोक योजना में भूखण्ड संख्या डी-25 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से स्वप्न लोक योजना में भूखण्ड संख्या डी-25 का नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी लेकर नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन--12	
25	126.25	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम अजयरामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 305, 304/375, 293/2, 293/1, 295, 273 किता 6 रकबा 1.03 है० का अनुमोदित आवासीय रकबा 1.03 है० (10306.90 व.मी.) को आवासीय से व्यावसायिक (होटल) उपान्तरण किये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ग्राम अजयरामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 305, 304/375, 293/2, 293/1, 295, 273 किता 6 रकबा 1.03 है० का अनुमोदित आवासीय रकबा 1.03 है० (10306.90 व.मी.) को आवासीय से व्यावसायिक (होटल) उपान्तरण किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.मी. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	उपायुक्त जोन--11	

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
26	126.26	Approvel of tender for the work "Construction of Archery building at campus of Shooting Range at Jagatpura"	सर्वसम्मति से Zonal Engg.(Project) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डे पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त नॉन–बीएसआर आईटम के अलावा न्यूनतम निविदादाता का रू. 2,84,74,593.91 का ऑफर जिसमें कि सिविल कार्य की दर बीएसआर 2000 पर 27 प्रतिशत अधिक, स्टील कार्य बीएसआर 2006 पर 27 अधिक, सेनेट्री का कार्य बीएसआर 2006 पर 20 प्रतिशत अधिक तथा विद्युतीकरण का कार्य0 बीएसआर 2004 पर 32 प्रतिशत अधिक बिना किसी शर्त के अनुमोदित की गई तथा नॉन–बीएसआर आईटम के लिए अलग से निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।	Zonal Engineer (Project)	

साथ ही बैठक में सहकारी समिति की योजनाओं में व्यावसायिक व आवासीय ग्रुप हाउसिंग किये जाने पर हवा, रोशनी बन्द होने यातायात दबाव व पार्किंग समस्या उत्पन्न होने सम्बन्धी कई शिकायते प्राप्त होती रहती है जिस पर विस्तार से विचार–विमर्श किया जाकर निदेशक (आयोजना) की अध्यक्षता में निदेशक (विधि) एवं उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा की एक कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया जो सहकारी समिति की आवासीय योजनाओं की आन्तरिक सडकों पर व्यावसायिक व आवासीय ग्रुप हाउसिंग किये जाने के संबंध में सहकारिता अधिनियम के प्रावधानों व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22.10.07 के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट आगामी कार्यकारी समिति की बैठक से पूर्व प्रस्तुत करेगी।

सचिव
(सदस्य सचिव)
जविप्रा, जयपुर